न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.
गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 07/2014

सायल :–	बनाम	गैरसायलः–
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		शंकरलाल पुत्र हीरालाल राव निवासी प्रतापनगर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)/3/7 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
श्री प्यारे खान, विद्वान अभिभाषक गैरसायल

:: निर्णय ::

दिनांकः– 20/02/2018

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 03.03.2014 को गैरसायल शंकरलाल पुत्र हीरालाल राव निवासी प्रतापनगर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना औद्योगिक क्षेत्र का आपराधिक प्रवति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ वर्ष 2008 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है, जिनमें दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	थाना	मु.नं./दिनांक	धारा	चालान नम्बर	न्यायालय निर्णय
1	औद्योगिक क्षेत्र पाली	261/09.11. 2008	13 आर0पी0जी0ओ0	206/18.11. 2008	श्रीमान जे0एम0 संख्या 2 पाली द्वारा दिनांक 26.11.2008 को 50/– रूपये जुर्माना
2	औद्योगिक क्षेत्र पाली	200/28.08. 2009	13 आर0पी0जी0ओ0	152/02.09. 2009	श्रीमान जे0एम0 संख्या 2 पाली द्वारा दिनांक 18.08.2010 को 50/– रूपये जुर्माना

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम मे दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल शंकरलाल पुत्र हीरालाल राव निवासी प्रतापनगर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली जुऐ के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन जुआरी होन से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। गैरसायल ने उक्त परिवाद का कोई जवाब नहीं दिया तथा न ही कोई शहादत सूची प्रस्तुत की।

सायल पक्ष की ओर से मुख्य परीक्षण में गवाह नरेन्द्र कुमार शर्मा परीक्षित हुए। गवाह ने अपने बयानों में परिवाद/प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की तथा दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, जो प्रदर्श–1 से प्रदर्श–6 है। गैरसायल की ओर से कोई भी गवाह मुख्य परिक्षण में परीक्षित नहीं हुआ।

ए0पी0पी0 एवं विद्वान अभिभाषक गैरसायल की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना औद्योगिक थाने का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन जुआरी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

वकील गैरसायल ने अपनी बहस में कथन किया कि गेरसायल को न्यायालय द्वारा परीविक्षा का लाभ दिया गया है तथा गेरसायल किसी भी रूप में जुऐ का धन्धा नहीं करता है। गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासा दायर करने से छह माह पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस कारण गैरसायल गुण्डा एक्ट की परिधी में नहीं आता है। अतः कार्यवाही निरस्त करावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यु0 2002 (4) पेज 2181 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 207/2008 में पारित निर्णय दिनांक 26.11.2008 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 50 रूपये के जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 200/2009 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2010 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 50 रूपये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार पत्रावली पर गैरसायल गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 में विहित गुण्डा की परिभाषा में शुमार पाया जाता है। अतः उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(2)(ख)(iii) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल शंकरलाल पुत्र हीरालाल राव निवासी प्रतापनगर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली से निष्काषित कर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

पुलिस थाना रोहट जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक से 30 दिन के लिये पुलिस थाना रोहट जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी रोहट जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल शंकरलाल, इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली गैरसायल शंकरलाल को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना रोहट जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी रोहट उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी औद्योगिक क्षेत्र पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तहरीर के साथ थानाधिकारी रोहट एवं थानाधिकारी औद्योगिक क्षेत्र, पाली को भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/2/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली